# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—59 / 2025

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| अमृत भाई पुत्र शंकर भाई जाति नाई निवासी उण्डाली तहसील सिणधरी | | 1. ताजाराम पुत्र भैराराम<br>2. मूलाराम पुत्र भैराराम<br>3. सोनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी<br>4. तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

दिनांक—25.02.2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम डण्डाली तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 147 रकबा 8.8100 हैक्टेयर खसरा संख्या 618 रकबा 3.6162 हैक्टयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 09.10.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम डण्डाली तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 147 रकबा 8.8100 हैक्टेयर खसरा संख्या 618 रकबा 3.6162 हैक्टयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | गांव का नाम | खसरा नं. | रकबा (हैक्ट. में) | किस्म भूमि | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अमृतभाई पुत्र शंकरभाई जाति नाई सा.देह खातेदार | डण्डाली | 618 | 1.1002 | बा.दो. | आसमानी |
| 2 | सोनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट सा. आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण | डण्डाली | 148 | 1.1002 | बा.दो. | हरा |
| 3 | ताजाराम पुत्र भैराराम जाति जाट सा. आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण | डण्डाली | 147 | 7.7098 | बा.दो. | लाल |
| | | | 618 | 0.3155 | बा.दो. | |
| | | | **योग** | **8.0253** | | |
| 4 | मूलाराम पुत्र भैराराम जाति जाट सा. आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण | डण्डाली | 618 | 2.2005 | बा.दो. | बैंगनी |

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)सिणधरी